समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की

मास्टर ऑफ एजुकेशन (आर.आई.ई.)

उपाधि की आंशिक सम्पूर्ति हेतु

लघुशोध प्रबंध

2013-14

A-424

मार्गदर्शक
श्री आनंद वाल्मीकी
सहा.प्राध्यापक, शिक्षा विभाग
आर.आई.ई. भोपाल

शोधार्थी
साधना वर्मा
एम.एड.(आर.आई.ई.)
आर.आई.ई. भोपाल

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

घोषणा पत्र

मैं साधना वर्मा छात्रा एम.एड (आर.आई.ई.) यह घोषणा करती हूँ कि ''समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन'' नामक विषय पर लघु शोध-प्रबंध 2013-2014 में श्री आनन्द वाल्मीकी सहा.प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल (मध्यप्रदेश) के मार्गदर्शन में पूर्ण किया है।

यह लघु शोध-प्रबंध मेरे द्वारा बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्यप्रदेश) की एम.एड. (आर.आई.ई.) 2013-2014 उपाधि की आंशिक संपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। इस शोध में लिये गये आंकड़े एवं सूचनायें विश्वसनीय स्त्रोतों तथा मूल स्थानों से प्राप्त किये गये है तथा ये प्रयास पूर्णतः मौलिक है।

शोधार्थी

Sadhna

साधना वर्मा
एम.एड.
क्षेत्रीय शिक्षा, संस्थान
(एन.सी.ई.आर.टी.)
श्यामला हिल्स, भोपाल

स्थानः- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
दिनांक :- 12/05/2014

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि सुश्री साधना वर्मा ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश से शिक्षा में स्नातकोत्तर एम.एड. (आर.आई.ई.) उपाधि प्राप्त करने हेतु लघु शोध–प्रबंध ''समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन'' मेरे मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया है तथा यह शोधकार्य इनकी निष्ठा एवं लगन से परिपूर्ण मौलिक परिश्रम का प्रतिफल है, जो पूर्व में इस आशय से विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैं शुभकामनाओं सहित इस लघुशोध प्रबंध को एम.एड. (आर.आई.ई.) बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय की परीक्षा सन् 2013–2014 आंशिक संपूर्ति को स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

मार्गदर्शक

स्थानः– क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
दिनांक :- 12/05/2014

आनन्द वाल्मीकी
सहा.प्राध्यापक, शिक्षा विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा, संस्थान
(एन.सी.ई.आर.टी.)
श्यामला हिल्स, भोपाल

आभार ज्ञापन

प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध ''समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन'' की सम्पन्नता का सम्पूर्ण श्रेय मेरे मार्गदर्शक श्री आनन्द वाल्मीकी (सहा. प्राध्यापक), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल को है, जिन्होने निरन्तर उचित परामर्श, पर्याप्त निर्देशन तथा अनवरत प्रोत्साहन देकर शोधकार्य पूर्ण करने में अमूल्य सहयोग प्रदान किया, अतएव मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ।

मैं डॉ. किरन माथुर (प्राध्यापक) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल जिन्होने अंतिम समय में मार्गदर्शक के रूप में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया, अतएव मैं उनकी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ।

मैं आदरणीय प्राचार्य डॉ. एच.के. सेनापति, प्रोफेसर रीता शर्मा (अधिष्ठाता) एवं डॉ. बी. रमेश बाबू (विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल के अनवरत मार्गदर्शन, सहयोग तथा आर्शीवाद हेतु हृदय से आभारी हूँ।

मैं डॉ. के.के. खरे, डॉ. रत्नमाला आर्य, डॉ. नितायीचरण ओझा, संजय कुमार पंडागले आदि गुरूजनों की हृदय से आभारी हूँ, जिन्होने समय-समय पर सेमिनार में उचित मार्गदर्शन करके मेरे शोधकार्य में सहयोग दिया।

मैं डॉ. लक्ष्मीनारायण (प्राध्यापक) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर की हृदय से आभारी हूँ, जिन्होने शोध से संबंधी महत्वपूर्ण बातो को समझाया जिससे हमे डाटा विश्लेषण में सहायता मिली।

मैं पुस्तकालयाध्यक्ष श्री पी.के.त्रिपाठी तथा समस्त पुस्तकालय कर्मचारियों की आभारी हूँ जिन्होने सन्दर्भ सामग्री की ओर निर्देश करने में मुझे सहयोग दिया।

मैं आभारी हूँ अपने माता-पिता जी की जिन्होने आत्मीय व्यवहार, अविस्मरणीय, वात्सल्यपूर्ण सहयोग प्रदान कर मेरे आत्मबल को प्रतिफल प्रोत्साहित किया।

अन्त में मैं आभारी हूँ अपने सहपाठियो की जिन्होंने शोध लेखन के दौरान आयी कठिनाईयों के समाधान में मेरी मदद की।

शोधार्थी

Sadhna

साधना वर्मा

एम.एड.

क्षेत्रीय शिक्षा, संस्थान

(एन.सी.ई.आर.टी.)

श्यामला हिल्स, भोपाल

स्थानः- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल

दिनांक :- 12/05/2014

अनुक्रमणिका

घोषणा पत्र

प्रमाण–पत्र

आभार ज्ञापन

तालिका सूची

आकृति सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठक्रमांक
अध्याय प्रथम	शोध विषय का परिचय	1-6
1.1	प्रस्तावना	1-3
1.2	अध्ययन की आवश्यकता	3-4
1.3	समस्या कथन	4
1.4	अध्ययन में प्रयुक्त कारकों की तकनीकी परिभाषा	4-5
1.5	अध्ययन के शोध प्रश्न	5
1.6	अध्ययन के उद्देश्य	5
1.7	परिकल्पनाये	5-6
1.8	समस्या का सीमांकन	6

अध्याय द्वितीय	**संबंधित शोध साहित्य का पुनरावलोकन**	7-11
2.1	प्रस्तावना	7
2.2	संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन का महत्व	7-8
2.3	समस्या से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन	8-11
अध्याय तृतीय	**शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया**	12-16
3.1	प्रस्तावना	12
3.2	विधि	12
3.3	चर	13
3.4	न्यादर्श व जनसंख्या	13
3.5	उपकरण	14
3.6	प्रदत्तों का संकलन	15
3.7	सांख्यिकी विश्लेषण	15-16
अध्याय चतुर्थ	**प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या**	17-27
4.1	प्रस्तावना	17
4.2	परिकल्पना का विश्लेषण	16-27
अध्याय पंचम	**शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव**	28-33
5.1	प्रस्तावना	28
5.2	समस्या कथन	28
5.3	चर	29

5.4	अध्ययन के उद्देश्य	29
5.5	परिकल्पनाये	29-30
5.6	समस्या का सीमांकन	30
5.7	शोध न्यादर्श	30
5.8	शोध में प्रयुक्त उपकरण	30
5.9	प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय	30-31
5.10	अध्ययन के मुख्य परिणाम	31
5.11	निष्कर्ष	31-32
5.12	भावी शोध हेतु सुझाव	33
	संदर्भ ग्रंथ सूची	
	परिशिष्ट	
I	परिशिष्ट– प्रारंभिक शिक्षक की अभिवृत्ति मापन	
II	परिशिष्ट– प्रारंभिक शिक्षक की जागरूकता मापन	

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
Regional Institute of Education
पुस्तकालय
Library

तालिका सूची

तालिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.1	स्कूल वार शिक्षकों की संख्या	13
4.1	अशासकीय व शासकीय विद्यालयों की जागरूकता के स्तर में भिन्नता	18
4.2	अशासकीय व शासकीय विद्यालयों की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता	19
4.3	महिला व पुरूष प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता के स्तर में भिन्नता	21
4.4	महिला व पुरूष प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता	22
4.5	1–10 वर्ष व 10 वर्ष से ऊपर प्रारंभिक शिक्षको की जागरूकता के स्तर में भिन्नता	24
4.6	1–10 वर्ष व 10 वर्ष से ऊपर प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता	25
4.7	प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति मे सह संबंध	27

आकृति सूची

आकृति क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ	4
4.1	अशासकीय व शासकीय विद्यालयों की जागरूकता के स्तर में भिन्नता	18
4.2	अशासकीय व शासकीय विद्यालयों की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता	20
4.3	महिला व पुरूष प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता के स्तर में भिन्नता	21
4.4	महिला व पुरूष प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता	23
4.5	1–10 वर्ष व 10 वर्ष से ऊपर प्रारंभिक शिक्षको की जागरूकता के स्तर में भिन्नता	24
4.6	1–10 वर्ष व 10 वर्ष से ऊपर प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता	26

अध्याय- प्रथम

शोध विषय का परिचय

अध्याय – प्रथम

शोध विषय का परिचय

1.1 प्रस्तावना–

शिक्षा मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास है अतः शिक्षार्जन करने वाला सामान्य बालक हो या विशिष्ट, उनको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना न्याय संगत है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य विशिष्ट बच्चों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने लिये उपयुक्त माहौल बनाना है, ताकि उनमें आत्मविश्वास जाग्रत हो सके।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत बच्चे एक साथ कक्षा में सीखते है तथा कक्षा में विभिन्न सामग्री का उपयोग आवश्यकतानुसार करते हैं और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते है। समावेशी शिक्षा बिना परवाह किये अपनी ताकत या किसी भी क्षेत्र में कमजोरी की वजह से कक्षा और समुदाय में एक साथ सभी छात्रों को लाता है।

Conceptual Framework–

विभिन्न योजना और अधिनियम ने समावेशी शिक्षा की अवधारणा को इस प्रकार व्यक्त किया है–

यूनेस्को के अनुसार–

स्कूल में सभी बच्चों को उनके शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा अन्य परिस्थितियों के सभी बच्चों को समायोजित करना चाहिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार–

देश के सदस्यों की सही पहचान के लिये विशिष्ट व्यक्तियों की शिक्षा से होती है। बिना भेदभाव के इस अधिकार को साकार करने की दृष्टि से समानता का अवसर देना चाहिए।

निःशक्त व्यक्ति विकलांग अधिनियम (P.W.D. Act. 1995)

इस अधिनियम को संसद द्वारा 12 दिसम्बर 1995 को पारित किया गया तथा 7 फरवरी, 1996 को अधिसूचित किया गया । इस अधिनियम का उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को सुविधाएँ, सेवाएँ प्रदान करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकार, स्थानीय उत्पादन व उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिये भागीदारी कर सके। इस अधिनियम में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों व सुविधाओं की सूची है तथा जो कि प्रवर्तीत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उनकी उन्नति भी आम आदमी की तरह से हो। वे आत्मविश्वास के साथ जिंदगी जिएँ ।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार-

समावेशी शिक्षा सभी स्कूलों में व्यापक रूप से लागू किये जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चो, समाज के हाशिये पर जीने वाले बच्चे और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा मिले।

कोठारी आयोग(1964-66) के अनुसार-

विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रमुख कार्य है इसे उस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से सामंजस्य करने के लिये तैयार करना जिसका निर्माण सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये हुआ है अतः यह आवश्यकता है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है।

RTE 2009 के अनुसार-

शिक्षा एक मौलिक अधिकार है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अपने शैक्षणिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में बराबर का मौका मिलना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार सभी को लागू करना चाहिये इसलिये यह करने के लिये नियमित रूप से स्कूलों में इन बच्चों को एकीकृत करने के लिये महत्वपूर्ण है।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययन करके विशिष्ट बच्चों को अपनी विशिष्टता के कारण भविष्य में समाज द्वारा दी जाने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार होना है। समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बालक शिक्षा प्राप्त करके जीवन निर्वाह करने योग्य बन जाते हैं तथा समाज पर बोझ नहीं बनते, जिससे सामाजिक समस्या भी समाप्त हो जाती है।

1.2 अध्ययन की आवश्यकता–

निःशक्त बच्चे जो अपनी निःशक्तता या अपने अविकसित अंग के कारण आगे बढ़ने से डरते है उन्हें समावेशी शिक्षा के कारण अपना पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों में जागरूकता एवं सकारात्मक अभिवृत्ति ऐसे निःशक्त बच्चों में स्वस्थ भावना को जागृत करती है तथा उनमें हीन भावना आने से रोकती है।

NCF के अनुसार –

समावेशी शिक्षा निःशक्त बच्चों के लिये बहुत ही जरूरी है ताकि इसके द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें जीवन यापन के लिये तैयार किया जा सके। समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

RTE के अनुसार –

समावेशी शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जिसमें सभी बच्चों को सामान्य प्रणाली में लाया जा सकता है।

सभी बच्चों (निःशक्त बच्चों सहित) को समावेशी शिक्षा प्रदान करना जरूरी है किसी भी बच्चें को उसकी निःशक्तता के आधार पर शिक्षा देने से मना नहीं कर सकते। इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

अतः समावेशी शिक्षा एक नई शुरूआत है जिसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक ही समावेशी शिक्षा के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होते है इसलिये इस अध्ययन में शिक्षक की समावेशी शिक्षा के

प्रति जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

आकृति क्रं.1,1 समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ

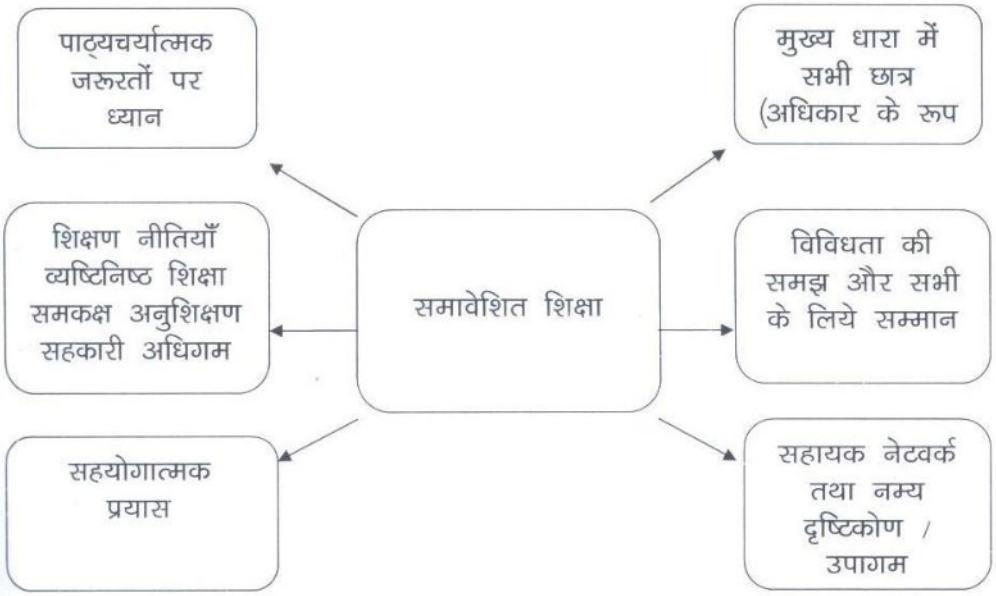

Source (स्त्रोत) - विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव (NCERT) राजपूत जगमोहन सिंह, देवल ओंकार सिंह, मिश्र चौधरी, हेमकांत मिश्र, चंद पूरन (2001)

1.3 समस्या कथन-

समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन।

1.4 अध्ययन में प्रयुक्त कारकों की तकनीकी परिभाषा-

जागरूकता- समावेशी शिक्षा के स्वरूप और योजना के प्रति जानकारी होना।

अभिवृत्ति- शिक्षकों का समावेशी शिक्षा के प्रति रूझान (नकारात्मक या सकारात्मक) है।

समावेशी शिक्षा– समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विशिष्ट बालकों को सामान्य भागीदारी प्रदान करने के लिये उपयुक्त वातावरण बनाना ताकि उनमें भी आत्मविश्वास जागृत हो सके एवं वे आत्मनिर्भर बन सकें।

1.5 अध्ययन के शोध प्रश्न–

1. क्या समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षक जागरूक हैं ?
2. क्या समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक हैं ?
3. क्या समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सह संबंध हैं ?

1.6 अध्ययन के उद्देश्य–

1. विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करना।
2. विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में भिन्नता का अध्ययन करना।
3. लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करना।
4. लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में भिन्नता का अध्ययन करना।
5. शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करना।
6. शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में भिन्नता का अध्ययन करना।
7. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सहसंबंध का अध्ययन करना।

1.7 परिकल्पनायें –

1. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर नही है।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

3. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
4. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
5. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
6. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
7. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सार्थक सहसंबंध नहीं है।

1.8 समस्या का सीमांकन –

1. प्रस्तुत शोध कार्य म.प्र. के भोपाल के शहरी विस्तार तक सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य तीन अशासकीय विद्यालयों में और तीन शासकीय विद्यालयों में किया गया।
3. प्रस्तुत शोध कार्य प्रारंभिक शिक्षकों पर ही किया गया।
4. प्रस्तुत शोध कार्य प्रारंभिक शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और जागरूकता के संबंध में किया गया।

अध्याय–द्वितीय

संबंधित शोध साहित्य का पुनरावलोकन

अध्याय–द्वितीय

संबंधित शोध साहित्य का पुनरावलोकन

2.1 प्रस्तावना–

किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान की प्रक्रिया में संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। शोधकार्य के अन्तर्गत शोध संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन एक प्रारंभिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। वर्तमान ज्ञान की जानकारी के पश्चात् ही ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है। संबंधित साहित्य से तात्पर्य है अनुसंधान की समस्या से संबंधित सभी प्रकार के साहित्य–पुस्तकों, ज्ञानकोशों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्त्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं का निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा आदि तैयार करने एवं अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके अभाव में अनुसंधान कार्य को उचित दिशा में बढ़ाया नहीं जा सकता। जब तक अनुसंधानकर्त्ता को ज्ञान न हो जाये कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है? तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न ही दिशा में सफल हो सकता है।

गुडबार तथा स्केट्स(1959) कहते हैं–

एक कुशल ''चिकित्सक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधी संबंधी आधुनिकतम के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्त्ता के लिये भी उस क्षेत्र में संबंधित सूचनाओं से परिचित होना आवश्यक है।''

2.2 संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन का महत्व–

संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन का महत्व निम्न बिन्दुओं के द्वारा स्पष्ट है :–

1. वह व्याख्या की जाने वाली समस्या की पूरी तस्वीर प्रकट करता है।
2. ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार के लिये यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्त्ता को यह ज्ञात हो कि ज्ञान की वर्तमान सीमा कहां जाता है, वर्तमान ज्ञान की जानकारी के पश्चात् ही ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. समस्या से संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन से अन्य संबंधित नवीन समस्याओं का पता लगता है।
4. सत्यापन करने के लिये कुछ अनुसंधानों को नवीन दिशाओं में करने की आवश्यकता होती है।
5. किसी अनुसंधानकर्त्ता के पूर्व में वही अनुसंधान कार्य भली प्रकार किया जा चुका हो तो हमारा प्रयास निर्रथक साबित होगा अतः संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन हमारे अनुसंधानकर्त्ता के प्रयास को सार्थकता प्रदान करता है।
6. इससे अनुसंधानकर्त्ता को अपने अनुसंधान के विधान की रचना के संबंध में अनादृष्टि प्राप्त होती है।

2.3 समस्या से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन–

शोध विषय के अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा इस समस्या पर किए गए शोधों का अध्ययन कर निम्न जानकारी प्राप्त की गई है।

1. **गुप्ता (1997)** ने ''अध्यापकों के लिये समावेशी शिक्षा दर्शिका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, भोपाल शिक्षण सामग्री मार्गदर्शिका'' का विकास किया।
2. **चौपड़ा (2003)** के द्वारा ''समावेशी शिक्षा के प्रति प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक'' विषय पर अध्ययन किया गया। उनके निष्कर्ष के अनुसार समावेशी और बहिष्कार (exclusion) के बीच की खाई को दूर करने के लिये शिक्षक, अभिभावकों, समाज, प्रशासकों और सरकार सामूहिक रूप से समावेशी शिक्षा की नीतियों को लागू करने के लिये काम करना चाहिए।
3. **संथी एस.पी. (2005)** के द्वारा ''स्कूलों में श्रवण बधित बच्चों का समावेश–शिक्षकों की अभिवृत्ति पर एक सर्वेक्षण'' किया गया उनके निष्कर्ष के अनुसार–
   (1) विकलांग छात्रों के लाभ के लिये रणनीतियों को स्कूल में लागू किया जाना चाहिये।
   (2) अधिकांश शिक्षक विकलांग छात्रों को शामिल करने के लिये सहमत है।

(3) शिक्षकों की योग्यता, शिक्षण अनुभव, लिंग, शिक्षा और प्रबंधन के स्तर के आधार पर व्यवहार में अंतर है।

4. **कथिरिया** (2007) ने ''समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जूनागढ़ जिले के विद्यालयों का अध्ययन'' किया। उनके निष्कर्ष अनुसार–

(1) विशेष विद्यालयों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था है।

(2) विशेष विद्यालयों में चल रही गतिविधियों पर सामान्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

(3) शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

5. **रैफरटी एवं ग्रिफिन** (2010) ने ''शिक्षक की अभिवृत्ति और शैक्षिक उपलब्धि पर साहित्य की समीक्षा'' पर अध्ययन किया उनके निष्कर्ष अनुसार–

(1) समावेशी शिक्षा के लाभ और कमियों के बारे में राय और अनुसंधान बदलती है।

(2) शिक्षक एक समावेशी वातावरण में शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षण विधियों की एक किस्म का उपयोग कर रहे है।

(3) प्रोफेशनल विकास समय और सहयोग के लिये आवश्यक है परन्तु योजना भी पर्याप्त नहीं है।

6. **खान** (2011) ने ''माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों में अभिवृत्ति और ज्ञान के प्रति बंग्लादेश में समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया और पाया कि–

1. माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को छोड़कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समावेशी शिक्षा की दिशा में मुख्य रूप से सकारात्मक अभिवृत्ति थी।
2. समावेशी शिक्षा की सफलता के लिये अपर्याप्त ज्ञान, प्रशिक्षण की कमी है।
3. शिक्षण सामग्री की कमी शामिल है।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
Regional Institute of Education, Bhopal
पुस्तकालय
Library

शोध से संबंधित अन्य शोध कार्य :-

1. **टॉविन (1971)** ने प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षको का दृष्टिहीन विद्यार्थी के प्रति अभिवृत्ति की समस्या का अध्ययन किया और उनके अनुसार निष्कर्ष पाया गया कि –

प्रशिक्षित शिक्षक सामान्य कक्षा में दृष्टिहीन विद्यार्थी को कक्षा में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।

2. **सिंह (1987)** के द्वारा बिहार के विद्यालयों में अध्ययनरत शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों के लिये प्रदान समावेशित शिक्षा सुविधाओं का मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया गया और उनके अनुसार निष्कर्ष पाया गया कि

(1) शासन द्वारा अनुदानित सुविधाएं विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

(2) विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति विद्यार्थी उत्साहित नहीं पाये गये एवं उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रदान स्त्रोतों की केवल 33 प्रतिशत उपयोगिता ही प्राप्त हुई।

(3) शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों का अपने परिवारो से उत्तम सामंजस्य प्राप्त हुआ किन्तु शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों एवं अन्य विद्यार्थियों में संचार की कमी पाई गयी। साथ ही शिक्षक के द्वारा इस अन्तराल को कम करने हेतु किये गये प्रयास में भी कमी प्राप्त हुई।

3. **देशमुख (1994)** ने समेकित शिक्षा प्रयोजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विकलांग एवं सामान्य छात्र-छात्राओं की नवीनता का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनके अनुसार निष्कर्ष पाया गया कि –

विकलांग छात्राओं में प्रवाहशीलता, विकलांग छात्रों की अपेक्षा अधिक पाया गया। लिंग तथा विकलांगता के मध्य सम्मिलित रूप से अंतः कियाओं के प्रभाव में सार्थक अन्तर है।

4.तिवारी (1997-98) ने भारत के मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल शहर से सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की समेकित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया और उनके अनुसार निष्कर्ष पाया गया कि –

दृष्टिहीन व सामान्य विद्यार्थी की सकारात्मक अभिवृत्ति है, क्योकि विद्यार्थी की विकलांगता जन्मजात एवं दुर्घटनावश हो सकती है, और विकलांग भी अध्ययन करना चाहते है जिसमे विकलांगता बाधक नहीं है।

अध्याय–तृतीय

शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया

अध्याय–तृतीय

शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया

3.1 प्रस्तावना–

अनुसंधान कार्य में सही दिशा में अग्रसर होने के लिये आवश्यक होता है कि शोध की एक व्यवस्थित रूपरेखा हो। इसमें प्रतिदर्श के चयन की अपनी भूमिका होती है। एक अच्छा तथा उपयोगी प्रतिदर्श संपूर्ण समष्टि का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिदर्श जित जितने अधिक सुदृढ़ होंगे परिणाम उतने ही परिशुद्ध, वैद्य एवं विश्वसनीय होंगे। इसके बाद उपकरण तथा चयन प्रविधि महत्वपूर्ण होती है जिसके आधार पर प्रदत्तों का संकलन किया जाता है।

पी.वी. यंक के शब्दों में– ''अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है तथा उनके अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधो, कारणात्मक व्याख्याओं तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करती है जो कि प्राप्त तथ्यों को निर्धारित करते है।''

किसी भी शोध समस्या के परिणाम प्राप्त करने एवं उनका विश्लेषण तथा व्याख्या करने हेतु एक सफल योजना की आवश्यकता होती है, जो शोधकार्य में सहायक सिद्ध होती है। शोध समस्या के लिये न्यादर्श का चयन क्षेत्र का चयन, प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों के संकलन हेतु उपकरण एवं प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है।

प्रस्तुत अध्याय में समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति को केन्द्रित किया गया है। यह अध्ययन एक मात्रात्मक रूप से वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि है जिसके अन्तर्गत प्रदत्तों का संकलन सर्वेक्षण विधि के द्वारा किया गया है और प्रदत्तों का विश्लेषण t- test व सह–संबंध के द्वारा किया गया है।

3.2 विधि –

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

3.3 चर –

शोध समस्या में निम्न चर है–

1. अभिवृत्ति
2. जागरूकता

3.4 न्यादर्श व जनसंख्या –

किसी भी अनुसंधान कार्य में प्रतिदर्श का चुनाव एवं उसकी संख्या महत्वपूर्ण पहलू होता हैं। प्रस्तुत अध्ययन में समय सीमा को ध्यान में रखते हुये प्रतिदर्श को आकस्मिक प्रकार से चयनित किया गया है जिसके अन्तर्गत समष्टि से अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव किया गया है अर्थात् जो प्रारंभिक शिक्षक मौजूद थे उन्हीं से ही अपनी सुविधा अनुसार सूचना को संग्रहित किया है।

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा प्रतिदर्श का चयन के लिये शहरी स्कूल लिये गये है जिसके अन्तर्गत तीन अशासकीय और तीन शासकीय विद्यालय लिये गये है।

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा 100 प्रारंभिक शिक्षक को चयनित किया गया है क्योंकि इस स्तर पर उन्हें बच्चों के प्रति ज्यादा समानुभूति होती है।

जनसंख्या – प्रारंभिक शिक्षक

न्यादर्श – 100 प्रारंभिक शिक्षक

तालिका संख्या 3.1 स्कूल वार शिक्षकों की संख्या

संख्या	अशासकीय	शिक्षकों की संख्या	शासकीय	शिक्षकों की संख्या
1	विध्याचंल अकादमी	20	डी.एम.एस.	10
2.	सेंट जोसेफ	20	मॉडल स्कूल	20
3.	सरस्वती विद्या मंदिर	10	कमला नेहरू स्कूल	20

3.5 उपकरण –

शोध में प्रदत्तों का संकलन करने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। जिससे प्रदत्तों के विश्लेषण तथा व्याख्या करने में सरलता हो। शोधार्थी द्वारा चयनित किया गया उपकरण स्वनिर्मित है जो कि विश्वसनीय एवं उद्देश्यपूर्ण है।

समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिये लिर्कट मापनी के आधार पर शोधार्थी ने जागरूकता मापनी और अभिवृत्ति मापनी को 5 स्कोरिंग से (पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः असहमत) विकसित किया है, अभिवृत्ति और जागरूकता पता करने के लिये कथनों के द्वारा स्कोर किया गया। जो पूर्णतः समावेशी शिक्षा पर आधारित है तथा जागरूकता मापनी और अभिवृत्ति मापनी कथनों के रूप में इन कथनों का उत्तर प्रारंभिक शिक्षकों द्वारा किया गया है तथा इन्हीं उत्तर के आधार पर शोधार्थी द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया है।

1. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति को जानने के लिये लिर्कट मापनी के आधार पर प्रश्नावली बनाई गई है जिसमें 30 कथन है।

   (कृपया परिशिष्ट–1 देखिये)

2. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंशिक शिक्षकों की जागरूकता को जानने के लिये लिर्कट मापनी के आधार पर प्रश्नावली बनाई गई है जिसमें 25 कथन है।

   (कृपया परिशिष्ट–2 देखिये)

समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति मापनी के लिये राजपूत जगमोहन सिंह, देवल ओंकार सिंह, मिश्र चौधरी, हेमकांत मिश्र, चंद पूरन की ''विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव'' (NCERT) की सहायता ली गयी।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
Regional Institute of Education, Bhopal
पुस्तकालय
Library

3.6 प्रदत्तों का संकलन –

प्रदत्तों के संकलन हेतु शोधार्थी सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाध्यापक से व्यक्तिगत रूप से मिली तथा उन्हें अपने लघु शोध के उद्देश्य से अवगत कराया गया। फिर उन्होंने शोध की उपयोगिता को समझकर प्रदत्तों के संकलन हेतु अनुमति प्रदान की। प्रधानाध्यापक की अनुमति मिलने के पश्चात् विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों से मिली और निम्न निर्देश दिये गये "मुझे आप लोगों से समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी लेनी है और आपकी निजी जानकारी को पूरी तरीके से गोपनीय रखेंगे।" अतः आप प्रदत्तों के संकलन हेतु सहायता करें।

प्रदत्त को निम्न 6 स्कूलों के प्रारंभिक शिक्षकों से अध्ययन के लिये संग्रहित किया गया –

1. विंध्याचल अकादमी स्कूल
2. सेंट जोसेफ स्कूल
3. सरस्वती विद्या मंदिर
4. कमला नेहरू स्कूल
5. मॉडल स्कूल
6. डी.एम.एस.

3.7 सांख्यिकीय विश्लेषण : –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध के उद्देश्य के आधार पर शोधार्थी द्वारा निम्न सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया गया है।

1) विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की जागरुकता का अध्ययन

   t- test का उपयोग किया गया।

2) विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन

   t- test का उपयोग किया गया।

3) लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की जागरुकता का अध्ययन

t- test का उपयोग किया गया।

4) लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन

t- test का उपयोग किया गया।

5) शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरुकता का अध्ययन

t- test का उपयोग किया गया।

6) शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन

t- test का उपयोग किया गया।

7) समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरुकता और अभिवृत्ति में सहसंबध का अध्ययन

Pearson Product Moment correlation (r) का उपयोग किया गया।

अध्याय–चतुर्थ

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

अध्याय–चतुर्थ

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1 प्रस्तावना–

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य है कि समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन।

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधार्थी द्वारा समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति को ज्ञात करने के लिये समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ कथनों को तैयार किया गया जिसके आधार पर प्रदत्तों का संकलन किया गया ।

प्रस्तुत अध्याय में **t- test** व **Pearson Product Moment correlation (r)** विधियों का उपयोग कर प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया है । इस शोध अध्ययन में कुल 7 परिकल्पनाएं की गई हैं जिसकी जाँच करने के लिये शोध समस्या के अध्ययन से निकले परिणाम की व्याख्या की गई है ।

4.2 परिकल्पना का विश्लेषण–

परिकल्पना के आधार पर प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया जो निम्न प्रकार से है –

परिकल्पना –1

समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है ।

इस परिकल्पना का परीक्षण करने हेतु **t- test** का उपयोग किया गया।

जिसका विवरण तालिका सं. 4.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या 4.1 अशासकीय व शासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता के स्तर में भिन्नता

क्रं.	विद्यालय प्रबंधन का प्रकार	शिक्षकों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' मूल्य	df
1.	अशासकीय	50	98.52	10.33	2.89	98
2.	शासकीय	50	104.6	10.47		

't' मूल्य 0.05 स्तर पर सार्थक है।

आकृति क्रं.4,1 अशासकीय व शासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता के स्तर में भिन्नता

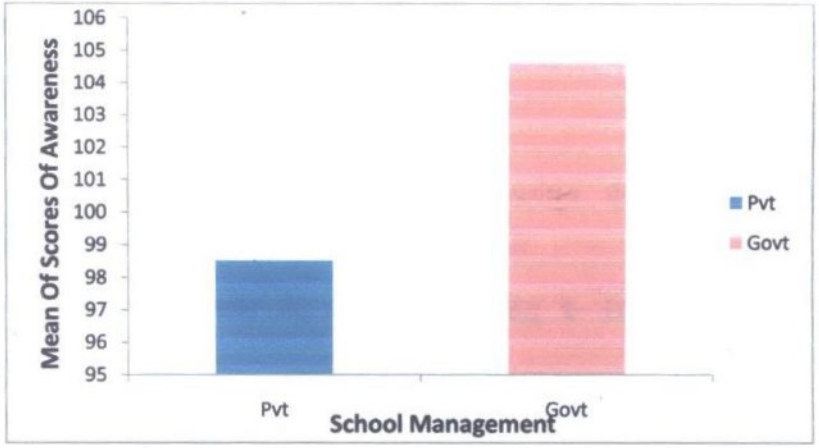

स्पष्टीकरण – तालिका सं. 4.1 से स्पष्ट होता है कि अशासकीय विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों (50) की जागरूकता का मध्यमान 98.52 है, तथा प्रमाणिक

विचलन 10.33 है । शासकीय विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों (50) की जागरूकता का मध्यमान 104.6 प्रमाणिक विचलन 10.47 है ।

't' का मान 2.89 है जो कि 0.05 स्तर के टेबल मूल्य 1.980 से ज्यादा है, अर्थात् सार्थक है इसलिये परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है ।

अतः समावेशी शिक्षा के प्रति शासकीय विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता अशासकीय विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता से अधिक है।

समावेशी शिक्षा के प्रति शासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता इसलिए कम हो सकती है इन शिक्षकों पर क्योकि अतिरिक्त जिम्मेदारी ज्यादा होने के कारण हो सकता है समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जागरूकता कम है।

समावेशी शिक्षा के प्रति अशासकीय विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षको की जागरूकता इसलिये अधिक हो सकती है, क्योकि अशासकीय विद्यालयों के निष्पादन का प्रभाव विद्यालय की समाज में लोकप्रियता पर पड़ता है अर्थात् विद्यालय का परिणाम समाज में विद्यालय की लोकप्रियता को प्रभावित करता है अतः हो सकता है, समावेशी शिक्षा का कियान्वयन अशासकीय विद्यालय में प्रभावशाली रूप से हो रहा है।

परिकल्पना –2

समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है ।

इस परिकल्पना का परीक्षण करने हेतु **t- test** का उपयोग किया गया।

जिसका विवरण तालिका सं. 4.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या 4.2 अशासकीय व शासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता

क्रं.	विद्यालय प्रबंधन का प्रकार	शिक्षकों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' मूल्य	Df
1.	अशासकीय	50	104.34	12.97	3.16	98
2.	शासकीय	50	112.44	12.35		

't' मूल्य 0.05 स्तर पर सार्थक है।

आकृति क्रं.4.2 अशासकीय व शासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता

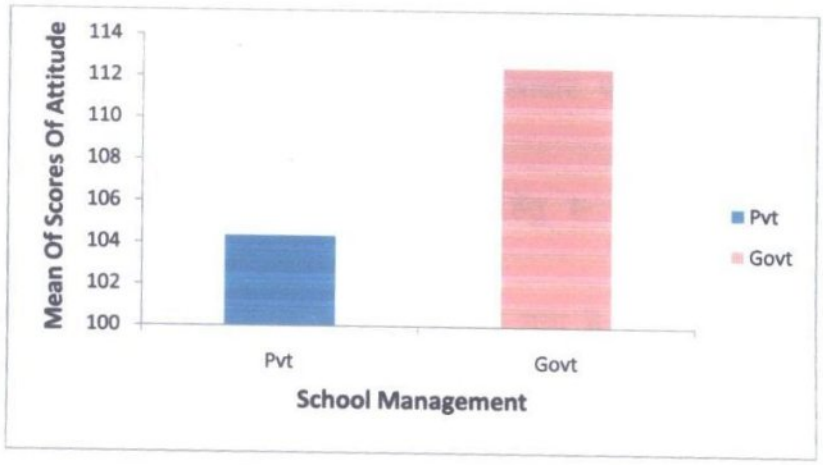

स्पष्टीकरण – तालिका सं. 4.2 से स्पष्ट होता है कि अशासकीय विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों (50) की अभिवृत्ति का मध्यमान 104.34 है, तथा प्रमाणिक विचलन 12.97 है। शासकीय विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों (50) की अभिवृत्ति का मध्यमान 112.44 तथा प्रमाणिक विचलन 12.35 है ।

't' का मान 3.16 हैं जो कि 0.05 स्तर के टेबल मूल्य 1.980 से ज्यादा हैं, अर्थात् सार्थक है इसलिये परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है । अतः समावेशी शिक्षा के प्रति शासकीय विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति अशासकीय विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति से अधिक है।

समावेशी शिक्षा के प्रति शासकीय विद्यालयो के प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति कम है क्योकि वह समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक नही है।

समावेशी शिक्षा के प्रति अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षको की सकारात्मक अभिवृत्ति अधिक है, क्योकि वह समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक है।

परिकल्पना –3

समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है ।

इस परिकल्पना का परीक्षण करने हेतु **t- test** का उपयोग किया गया।

जिसका विवरण तालिका सं. 4.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या 4.3 महिला व पुरुष प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता के स्तर में भिन्नता

क्रं.	लिंग	शिक्षकों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' मूल्य	df
1.	महिला	87	102.31	10.34	1.49	98
2.	पुरुष	13	97.53	12.40		

't' मूल्य 0.05 स्तर पर सार्थक नही है।

आकृति क्रं.4.3 महिला व पुरुष प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता के स्तर में भिन्नता

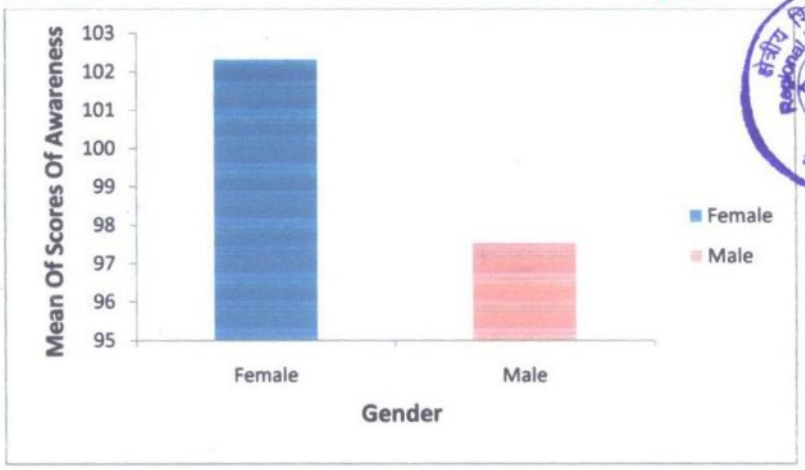

424
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
Regional Institute of Education
पुस्तकालय
Library

स्पष्टीकरण – तालिका सं. 4.3 से स्पष्ट होता है कि महिला प्रारंभिक शिक्षकों (87) की जागरूकता का मध्यमान 102.31 है, तथा प्रमाणिक विचलन 10.34 है । पुरूष प्रारंभिक शिक्षकों (13) की जागरूकता का मध्यमान 97.53 तथा प्रमाणिक विचलन 12.40 है ।

't' का मान 1.493 है जो कि 0.05 स्तर के टेबल मूल्य 1.980 से ज्यादा है,अर्थात् सार्थक है ।

यद्यपि महिला प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता का मध्यमान पुरूष प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता से अधिक हैं, लेकिन सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर नहीं हैं।

अतः लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता पर कोई प्रभाव नहीं है।

परिकल्पना –4

समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है ।

इस परिकल्पना का परीक्षण करने हेतु **t- test** का उपयोग किया गया।

जिसका विवरण तालिका सं. 4.4 में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या 4.4 महिला व पुरूष प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता

क्रं.	लिंग	शिक्षकों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' मूल्य	df
1.	महिला	87	107.88	13.75	0.97	98
2.	पुरूष	13	111.76	9.07		

't' मूल्य 0.05 स्तर पर सार्थक नही है।

आकृति क्रं.4.4 महिला व पुरुष प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता

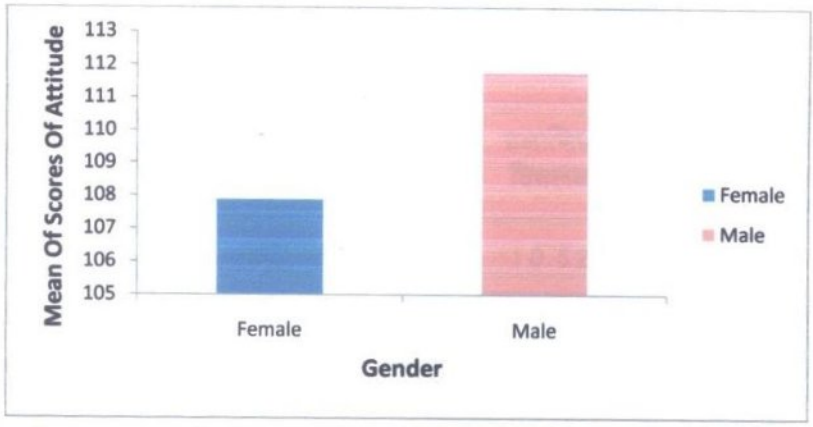

स्पष्टीकरण – तालिका सं. 4.4 से स्पष्ट होता है कि महिला प्रारंभिक शिक्षकों (87) की अभिवृत्ति का मध्यमान 107.88 है, तथा प्रमाणिक विचलन 13.75 है ।

पुरुष प्रारंभिक शिक्षकों (13) की अभिवृत्ति का मध्यमान 111.76 तथा प्रमाणिक विचलन 9.07है।

't' का मान 0.976 हैं जो कि 0.05 स्तर के टेबल मूल्य 1.980 से ज्यादा है, अर्थात् सार्थक है ।

यद्यपि पुरुष प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति का मध्यमान महिला प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति से अधिक है, लेकिन सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर नहीं है ।

अतः लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं है।

परिकल्पना –5

समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है ।

इस परिकल्पना का परीक्षण करने हेतु **t- test** का उपयोग किया गया।

जिसका विवरण तालिका सं. 4.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या 4.5 1–10 वर्ष व 10 वर्ष से ऊपर व प्रारंभिक शिक्षकों की की जागरूकता के स्तर में भिन्नता

क्रं.	शिक्षण अनुभव (वर्ष में)	शिक्षकों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' मूल्य	df
1.	1–10 वर्ष	87	101.23	10.52	0.36	98
2.	10 वर्ष से ऊपर	13	102.04	11.26		

't' मूल्य 0.05 स्तर पर सार्थक नही है

आकृति क्रं. 4.5 1–10 वर्ष व 10 वर्ष से ऊपर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता के स्तर में भिन्नता

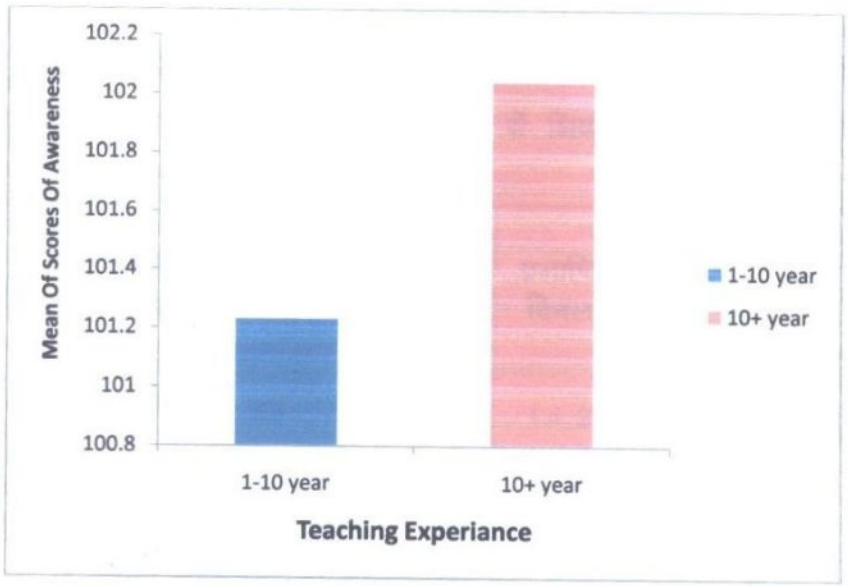

स्पष्टीकरण – तालिका सं. 4.5 से स्पष्ट होता है कि 1–10 वर्ष अनुभवी प्रारंभिक शिक्षकों (57) की जागरूकता का मध्यमान 101.23 है, तथा प्रमाणिक विचलन 10.52 है । 10 वर्ष से ऊपर अनुभवी प्रारंभिक

शिक्षकों (41) की जागरूकता का मध्यमान 102.04 तथा प्रमाणिक विचलन 11.266 है ।

't' का मान 0.36 है जो कि 0.05 स्तर के टेबल मूल्य 1.980 से ज्यादा है अर्थात् सार्थक है ।

यद्यपि 10 वर्ष से उपर अनुभवी प्रारंभिक शिक्षकों की जागरुकता का मध्यमान 1-10 अनुभवी प्रारंभिक शिक्षकों की जागरुकता से अधिक है, लेकिन सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर नहीं है ।

अतः शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरुकता पर कोई प्रभाव नहीं है।

परिकल्पना -6

समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।इस परिकल्पना का परीक्षण करने हेतु **t- test** का उपयोग किया गया।

जिसका विवरण तालिका सं. 4.6 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 4.6 1-10 वर्ष व 10 वर्ष से ऊपर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता

क्रं.	शिक्षण अनुभव (वर्ष में)	शिक्षकों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	't' मूल्य	df
1.	1-10 वर्ष	59	109.30	14.28	0.81	98
2.	10 वर्ष से ऊपर	41	107.07	11.62		

't' मूल्य 0.05 स्तर पर सार्थक नही है

आकृति क्रं. 4,6 1–10 वर्ष व 10 वर्ष से ऊपर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति के स्तर में भिन्नता

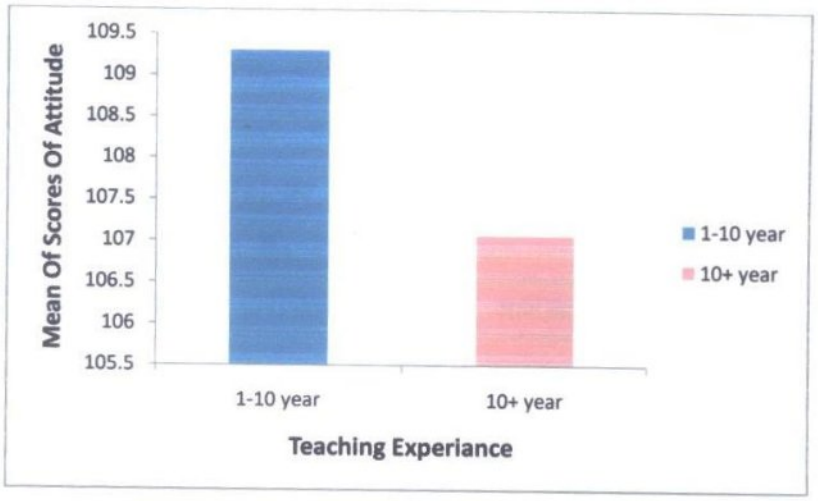

स्पष्टीकरण – तालिका सं. 4.6 से स्पष्ट होता है कि 1–10 वर्ष अनुभवी प्रारंभिक शिक्षकों (59) अभिवृत्ति का मध्यमान 109.30 है, तथा प्रमाणिक विचलन 14.28 है।

10 वर्ष से ऊपर अनुभवी प्रारंभिक शिक्षकों (41) की अभिवृत्ति का मध्यमान 107.07 तथा प्रमाणिक विचलन 11.62 है।

't' का मान 0.81 है जो कि 0.05 स्तर से टेबल मूल्य 1.980 से कम है, अर्थात् सार्थक नही है। इसलिए परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

यद्यपि 1–10 वर्ष से उपर अनुभवी प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति का मध्यमान 10वर्ष से उपर अनुभवी प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति के मध्यमान से अधिक है,लेकिन सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर नहीं है ।

अतः शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं है।

परिकल्पना –7

समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरुकता और अभिवृत्ति में सार्थक सहंसबध नहीं है।

इस परिकल्पना का परीक्षण करने हेतु Pearson Product Moment correlation (r) का उपयोग किया गया और इसका विवरण तालिका सं. 4.2.7 में दर्शाया गया हैं।

तालिका संख्या 4.7 प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सह संबंध

चर	शिक्षकों की संख्या	df	'r'
जागरुकता	100	98	0.34
अभिवृत्ति	100		

'r' मुल्य 0.05 स्तर पर सार्थक नही है।

स्पष्टीकरण – तालिका सं. 4.7 से स्पष्ट होता है कि r का मूल्य 0.34 है जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। इसलिये परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

अतः समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति और जागरूकता में सार्थक सहसंबंध नहीं है।

अध्याय- पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय– पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना–

किसी भी देश का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है इसलिये आज विश्व के समस्त देश शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान था कि ''आगामी 10 वर्षो में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

इस लक्ष्य को पाने के लिये शासकीय एवं अशासकीय प्रयासों के बाद मात्र 63 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की है। अभी भी बहुत अधिक बालक शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये है।

शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है प्राचीनकाल से ही इसी कारण शिक्षक को आदरपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक होगे तब ही विद्यार्थियों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता आ सकती है। इसलिये प्रस्तुत शोध अध्ययन में समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन विषय को चयनित किया गया है।

इस अध्ययन में लघु शोध का सारांश एवं अध्याय चतुर्थ में दिये गये प्रदत्तों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष को प्रस्तुत किया गया है।

5.2 समस्या कथन–

समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन।

5.3 चर –

शोध समस्या में निम्न चर है–

1. अभिवृत्ति
2. जागरूकता

5.4 अध्ययन के उद्देश्य –

1. विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करना।
2. विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में भिन्नता का अध्ययन करना।
3. लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करना।
4. लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में भिन्त्ता का अध्ययन करना।
5. शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करना।
6. शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में भिन्नता का अध्ययन करना।
7. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सह-संबंध का अध्ययन करना।

5.5 परिकल्पनाये–

1. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नही है।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

5. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
6. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
7. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सार्थक सहसंबंध नहीं है।

5.6 समस्या का सीमांकन–

1. प्रस्तुत शोध कार्य म.प्र. के भोपाल शहरी विस्तार तक सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य तीन अशासकीय विद्यालयों और तीन शासकीय विद्यालयों में किया गया।
3. प्रस्तुत शोध कार्य प्रारंभिक शिक्षकों पर ही किया गया।
4. प्रस्तुत शोध कार्य प्रारंभिक शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और जागरूकता के संबंध में ही किया गया।

5.7 शोध न्यादर्श–

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा प्रतिदर्श का चयन के लिये शहरी स्कूल लिये गये है जिसके अन्तर्गत तीन अशासकीय और तीन शासकीय विद्यालय लिये गये है।

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा 100 प्रारंभिक शिक्षकों को आकस्मिक प्रकार से चयनित किया गया है।

5.8 शोध में प्रयुक्त उपकरण–

समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिये लिर्कट मापनी के आधार पर शोधार्थी द्वारा जागरूकता मापनी और अभिवृत्ति मापनी को 5 स्कोरिंग से विकसित किया गया है।

5.9 प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन, लिंग, शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की

जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करने के लिये t-test का उपयोग किया गया।

शोधार्थी द्वारा समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन, लिंग, शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति में भिन्नता का अध्ययन करने के लिये t-test का उपयोग किया गया।

शोधार्थी द्वारा समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सार्थक सहसंबंध का अध्ययन करने के लिये Pearson product moment correlation (r) का उपयोग किया गया।

5.10 अध्ययन के मुख्य परिणाम –

1. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर है।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।
3. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
5. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
6. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
7. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सार्थक सहसंबंध नहीं है।

5.11 निष्कर्ष –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये है–

1. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया गया अर्थात् समावेशी शिक्षा के प्रति शासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता

अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता से अधिक है।

2. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया अर्थात् समावेशी शिक्षा के प्रति शासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति से अधिक है।
3. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नही पाया गया अर्थात् समावेशी शिक्षा के प्रति महिला तथा पुरूष प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात् समावेशी शिक्षा के प्रति महिला तथा पुरूष प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात् समावेशी शिक्षा के प्रति 1–10 वर्ष तथा 10 वर्ष से ऊपर प्रारंभिक शिक्षकों के शिक्षण अनुभव की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात् समावेशी शिक्षा के प्रति 1–10 वर्ष तथा 10 वर्ष के ऊपर प्रारंभिक शिक्षकों के शिक्षण अनुभव की सकारात्मक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
7. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सकारात्मक सहसंबंध है यद्यपि सार्थक सहसंबंध नहीं पाया गया।

5.12 भावी शोध हेतु सुझाव :-

भविष्य में शोध हेतु कुछ प्रस्तावित समस्याएं अध्ययन के लिये ली जा सकती है क्योकि भारत में समेकित शिक्षा को उचित स्थान नहीं मिल पाया है। इस दिशा में शोधार्थी के अनुसार भावी शोध हेतु कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं इस प्रकार है :-

(i) नगरी व ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों (अन्य व विशिष्ट) की अभिवृत्ति का अध्ययन।

(ii) समेकित शिक्षा का विद्यार्थियों (अन्य व विशिष्ट) के शैक्षिक स्तर पर प्रभाव।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन।

(iv) समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की नवीनता का अध्ययन।

(v) समावेशी शिक्षा के प्रति अभिभावको की अभिवृत्ति व जागरूकता का अध्ययन।

(vi) किस वर्ग के निःशुक्त बालक निःशक्तता से लाभान्वित हो रहे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी. ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रभात प्रकाश नई दिल्ली
2. चौपड़ा,रीटा (2003) ''समावेशी शिक्षा के प्रति प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक।'' लघुशोध कार्य
3. देशमुख राजेन्द्र कुमार (1994) – ''समेकित शिक्षा प्रयोजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विकलांग एवं सामान्य छात्र-छात्राओं की नवीनता का तुलनात्मक अध्ययन।'' लघुशोध कार्य
4. गुप्ता एस.के. (1997) ''विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता हेतु अध्यापकों के लिये समेकित शिक्षा दर्शिका राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परिषद, भोपाल।'' लघुशोध कार्य
5. गैरिट, ई. हेनरी (1998) शिक्षा तथा मनोविज्ञान में सांख्यिकी, नई दिल्ली
6. हसमुख,वी. कथिरिया (2006-07) –''समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जूनागढ़ जिले के विद्यालयों का अध्ययन।'' लघुशोध कार्य
7. जांगीरा,एन.के. तथा आहूजा अनुपम (1999) मजूर पेपरबैक्स ए-95, सेक्टर-5 नौएडा-201301, प्रभावकारी शिक्षक प्रशिक्षण (सहभागिता सहकारी अधिगम) प्रथम संस्करण
8. खान,टी.ए. (2011) ''माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रति अभिवृत्ति और ज्ञान के बारे में बंग्लादेश में समावेशी शिक्षा का अध्ययन।'' लघुशोध कार्य
9. राजपूत,जगमोहन सिंह, देवल, ओंकार सिंह, चौधरी, हेमकांत मिश्र, चन्द्र पूरन (2001) विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव (एन.सी.ई.आर.टी) नई दिल्ली
10. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (2005) एन.सी.ई.आर.टी, दिल्ली।
11. रैफरटी एवं ग्रिफिन (2010) –''शिक्षक की अभिवृत्ति और शैक्षिक उपलब्धि पर साहित्य की समीक्षा।'' लघुशोध कार्य

12. सिंह. आर. पी. तथा प्रभा एस. (1987) – ''बिहार के विद्यालयों में अध्ययनरत शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों के लिये प्रदान समावेशित शिक्षा सुविधाओं का मूल्यांकनात्मक अध्ययन।'' लघुशोध कार्य
13. श्रीवास्तव, डी.एन. तथा वर्मा,पी. (2006) मनोविज्ञान तथा शिक्षा में सांख्यिकी, आगरा
14. संथी,एस.पी. (2005) – ''स्कूलों में श्रवण बधित बच्चों का समावेश–शिक्षकों की अभिवृत्ति पर एक सर्वेक्षण।'' लघुशोध कार्य
15. टॉविन (1971) – ''प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षको का दृष्टिहीन विद्यार्थी के प्रति अभिवृत्ति की समस्या का अध्ययन।'' लघुशोध कार्य
16. तिवारी सरिता (1998) – ''भारत के मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल शहर से सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की समेकित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।'' लघुशोध कार्य

वेब संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. www.unesco.org.
2. www.csie.org.uk/resources/translation/indexenglish.pdf
3. www.inclusionbc.org/our.priority-areas/inclusion_education/what_inclusive-education
4. www.inclusiveeducation.ca
5. msateaches.com/?p=128
6. www.tandfonline.com/doi/abc/10.1080/01443410303223
7. srmo.sagepub.com/viewsrmolist?id=1297

परिशिष्ट

परिशिष्ट– I
प्रारंभिक शिक्षक की अभिवृत्ति मापन

Name (नाम) :–

Age (आयु) :–

Gender (लिंग) :–

Name of School (स्कूल का नाम) :–

Teaching Experience (शिक्षण अनुभव) :–

Medium of Education (शिक्षा का माध्यम) :–

Medium of Instruction (पढ़ाने का माध्यम) :–

निर्देश :–

(1) सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।

(2) सभी प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से दे।

(3) सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है।

(4) दिये गये पांच विकल्पों में से किसी एक बॉक्स में (√) का चिन्ह लगाना है।

(a) पूर्णतः सहमत
(b) सहमत
(c) अनिश्चित
(d) असहमत
(e) पूर्णतः असहमत

(5) आपके उत्तर को गोपनीय रखा जाएगा यह उत्तर किसी को नहीं दिखाया जायेगा।

(6) दिये गये प्रश्नों में निम्न शब्दावली का इस प्रकार अर्थ है :–

विशिष्ट छात्र – विशेष आवश्यकता वाले छात्र

अन्य छात्र – बिना विशेष आवश्यकता वाले छात्र

प्रश्न क्रं.	प्रश्न	पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
1	सभी विशिष्ट बच्चों को समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत अन्य बच्चों को साथ पढ़ना चाहिये।					
2	अधिकांश शिक्षकों को विशिष्ट बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिये।					
3	सामान्य शिक्षा प्रणाली में अन्य बच्चों के साथ अधिकांश विशिष्ट बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिये।					
4	समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों की सफलता के स्तर को कम करते है।					
5	अधिकांश बच्चे उसी कक्षा में विशिष्ट बच्चों के साथ पढ़ना पसंद नहीं करते है।					
6	जब विशिष्ट और अन्य दोनो तरह के बच्चे उसी कक्षा में साथ–साथ पढ़ते है तो दोनो को लाभ होता है।					
7	अधिकांश अन्य बच्चे विशिष्ट बच्चों के साथ खेलो में भाग लेना पसन्द करते है।					
8	अन्य छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों को विशिष्ट छात्रों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते है।					
9	समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों का समय बर्बाद करती है।					
10	विशिष्ट बच्चों की शिक्षा अन्य शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है।					

11	विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिये अन्य विभागों का सहयोग करना चाहिये।					
12	समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है।					
13	समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ सभी गतिविधियों में भाग लेना चाहिये।					
14	समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक खुश होते है।					
15	विशिष्ट बच्चे केवल विशेष विद्यालयों में ही पढ़ाये जाना चाहिये।					
16	केवल विशेष शिक्षक को ही विशिष्ट बच्चों को पढ़ाना चाहिये।					
17	विशिष्ट छात्रों की उपस्थिति के कारण पाठ्यक्रम में संशोधन करना चाहिये।					
18	नियमित कक्षा में विशिष्ट छात्रों को शामिल करने के लिये कक्षा में सामान्य रूप से एक प्रभावी रणनीति होनी चाहिये।					
19	समावेशी शिक्षा में उपचारात्मक कक्षा आवश्यक होनी चाहिये।					
20	शिक्षक को समावेशी शिक्षा के संबंध में स्कूल प्रबंधन (जैसे–प्रधानाचार्य) को रचनात्मक रणनीतियों के बारे में सुझाव देना चाहिये।					
21	नियमित रूप से अन्य छात्रों की परवाह किये बिना विशिष्ट छात्रों के साथ काम किया जाना चाहिये।					
22	समावेशी शिक्षण पद्धति में शिक्षक को नियमित आधार पर सहयोगियो के साथ योजना बनाने का अवसर मिलेगा।					
23	अन्य और विशिष्ट बालकों के सन्दर्भ में शिक्षकों का व्यवहार एक समान होना चाहिये।					
24	समावेशी शिक्षा के प्रति आपका स्कूल मजबूत समर्थक है।					

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल मध्य
Regional Institute of Education, Bhopal
पुस्तकालय
Library

25	नियमित शिक्षकों को विशिष्ट बच्चों के साथ अन्य छात्रों के लिये समय देना चाहिये।					
26	नियमित शिक्षकों को अन्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों के लिये समय देना चाहिये।					
27	सभी छात्रों को नियमित रूप से कक्षा में शामिल करना संभव होता है।					
28	शिक्षक को विशिष्ट छात्रों को नियमित कक्षा में विशिष्ट सहायता प्रदान करनी चाहिये।					
29	समावेशी कक्षा में सभी छात्रों पर ध्यान देना संभव होता है।					
30	समावेशी शिक्षा के प्रति आपका समर्थन है।					

परिशिष्ट–II
प्रारंभिक शिक्षक की जागरूकता मापन

Name (नाम) :–

Age (आयु) :–

Gender (लिंग) :–

Name of School (स्कूल का नाम) :–

Teaching Experience (शिक्षण अनुभव) :–

Medium of Education (शिक्षा का माध्यम) :–

Medium of Instruction (पढ़ाने का माध्यम) :–

निर्देश :–

D – 424

(1) सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।

(2) सभी प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से दे।

(3) सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है।

(4) दिये गये पांच विकल्पों में से किसी एक बॉक्स में (√) का चिन्ह लगाना है।

(a) पूर्णतः सहमत
(b) सहमत
(c) अनिश्चित
(d) असहमत
(e) पूर्णतः असहमत

(5) आपके उत्तर को गोपनीय रखा जाएगा यह उत्तर किसी को नहीं दिखाया जायेगा।

(6) दिये गये प्रश्नों में निम्न शब्दावली का इस प्रकार अर्थ है :–

विशिष्ट छात्र – विशेष आवश्यकता वाले छात्र
अन्य छात्र – बिना विशेष आवश्यकता वाले छात्र

प्रश्न क्रं.	प्रश्न	पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
1	शिक्षको को विशिष्ट छात्रों और अन्य छात्रों को साथ बैठाना चाहिये।					
2	शिक्षकों को सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखना चाहिये।					
3	विशिष्ट छात्रों की उपलब्धि स्तर अन्य छात्रों की उपलब्धि स्तर के समान होनी चाहिये।					
4	पाठ्यक्रम सभी तरह के बच्चों की योग्यता के अनुसार बनाया जाना चाहिये।					
5	विशिष्ट और अन्य बच्चों के लिये स्कूल के नियम एक सामान लागू होना चाहिये।					
6	कक्षा में सभी बच्चों को समूह में कार्य करना चाहिये।					
7	शिक्षकों को अन्य बच्चों की तरह विशिष्ट बच्चों को भी कक्षाकार्य व गृहकार्य देना चाहिये।					
8	विशिष्ट छात्रों को सांस्कृतिक कायक्रमों में भाग लेना चाहिये।					
9	शिक्षकों को विशिष्ट छात्र की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये सुविधा देना चाहिये।					
10	विशिष्ट छात्रों को भी अन्य बच्चों की तरह अनुपस्थित होने पर सजा का प्रावधान होना चाहिये।					
11	अन्य बच्चों की तरह विशिष्ट छात्रों के लिये परीक्षा आयोजित की जानी चाहिये।					
12	शिक्षकों को विशिष्ट छात्रों का मूल्यांकन उनकी योग्यता के अनुसार करना चाहिये।					
13	शिक्षकों को सभी छात्रों को एकसमान शिक्षण विधि से पढाना चाहिये।					

14	विशिष्ट छात्रों को अन्य छात्रों के साथ भ्रमण के लिये ले जाना चाहिये।					
15	अन्य छात्रों व शिक्षकों को विशिष्ट छात्रों की सहायता करना चाहिये।					
16	शिक्षकों को विशिष्ट छात्रों को सुझाव देना चाहिये।					
17	सभी छात्रों के लिये अनुशासन एक समान होना चाहिये।					
18	शिक्षको को विशिष्ट छात्रों को तकनीकी का उपयोग करके पढ़ाना चाहिये।					
19	विशिष्ट छात्रों को तकनीकी का उपयोग करना चाहिये।					
20	विशिष्ट छात्र हर गतिविधि में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाते है।					
21	सभी छात्रों के लिये प्रश्नपत्र एक समान होना चाहिये।					
22	शिक्षक को विशिष्ट व अन्य छात्रों के लिये प्रश्न–पत्र बनाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।					
23	शिक्षक को विशिष्ट छात्रों के अभिभावकों के साथ Interaction करना चाहिये।					
24	शिक्षक को सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिये।					
25	शिक्षक को सभी बच्चों की आवश्यकतानुसार निर्देश देना चाहिये।					

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
Regional Institute of Education, Bhopal
पुस्तकालय
Library
NCERT